

संख्याक-01

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :- हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 815/ 2019

- 1 महेश साहू पुत्र राजेश कुमार साहू जाति जाट निवासी 3 एफ 4 एफ छोटी, साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
- 2 मोहित साहू पुत्र राजेश कुमार साहू जाति जाट निवासी 3 एफ 4 एफ छोटी साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर

वादीगण

बनाम

- 1 राजेश कुमार पुत्र सुल्तान सिंह जाति जाट निवासी 3एफ 4 एफ छोटी साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
- 2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ हवाई सिंह यादव वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरु हमारे बहाजरी श्री रामकुमार सिहाग, राकेश सिहाग वकील वादीगण मिन जाभिन मुद्ई श्री रजनीकान्त वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुद्दायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि:- चक 14 एस पी एम जमाबदी सम्बत 2068-2071 खाता संख्या 59/51 प.न. 3/201 मु.न. 11 कि.न. 1/1 ता 25 में 5.820 है. नहरी, प.न. 4/204 मु.न. 25 कि.न. 1 ता 25 में 6.325 है. नहरी मय खाला कुल खाता 12.145 है. नहरी मय खाला आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 5.820 है. आराजी में वादीगण संख्या 1 व 2 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानूसार ही वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। बसख्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 19.11.19 को जारी किया गया।



H. V. Singh
हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

